

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-17/2013...../ रॉची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.11 एवं 3833 दिनांक 01.08.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी.बी.-III ग्रेड पे क्रमशः 5400/- एवं 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम / कार्यालय का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण पी.बी.-III वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे- 5400/- देय तिथि	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण पी.बी.-III वेतनमान 15600- 39100 ग्रेड पे 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार सिंह/ समग्र योजना अन्वे. एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर/ जे 5691/ 01.07.52	21.02.79	—	21.02.09 III	
2	श्री विद्युत कुमार सिन्हा/ रूपांकण प्रमंडल सं.-02, रॉची/ जे 7346ए/ 17.02.51	03.07.79	—	03.07.09 III	
	श्री वासुदेव महतो/ सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, गांगूडीह/ जे 5384/ 01.04.54	07.02.79	—	07.02.09 III	
	श्री ओम प्रकाश/ रूपांकण प्रमंडल सं.-02 सिंचाई देवघर/ जे 7430/ 11.12.64	16.01.87	01.09.08 II	—	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो एम.ए.सी.पी. के तहत उक्त लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

4. सम्पुष्टि प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./—
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल, जमशेदपुर / मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर / अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण अंचल, देवघर / अधीक्षण अभियन्ता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर / अधीक्षण अभियन्ता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग, अंचल, राँची / अधीक्षण अभियन्ता, समग्र योजना अन्वे. एवं जल विज्ञान अंचल सं.-02, देवघर / कार्यपालक अभियन्ता, समग्र योजना अन्वे. एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं.-02, देवघर / कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, राँची / कार्यपालक अभियन्ता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, गांगूडीह, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण प्रमंडल सं.-02, देवघर / संबंधित कनीय अभियन्ताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

5868

राँची, दिनांक :-

4-10-13

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (प्र.), प्रभारी प्रशाखा-02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / बयोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-30 / 2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामाकान्त ठाकुर जे 4312/05.01.52/ कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	24.11.76	01.09.2008	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ कार्यपालक अभियन्ता, कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर (गिरिडीह) को श्री रामाकान्त ठाकुर, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त चार भाग(मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 5874 राँची, दिनांक :- 4-10-13
प्रतिलिपि:- अवर सचिव(प्रबंधन), प्रभारी प्रशाखा-02/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-08 / 2013..... / रॉची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से रवीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रु. 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रु. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शंकर भक्त/ बराज प्रमंडल, गालूडीह, पूर्वी सिंहभूम/जे 6169/07.11.52	05.02.79	05.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: रॉची, दिनांक :

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, ईवा गालूडीह/ कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमंडल, गालूडीह को श्री शंकर भक्त, कनीय अभियंता का सेवापुस्त 03 भाग(मूल) के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक: 5877 रॉची, दिनांक :- 4-10-13

प्रतिलिपि: बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)